

माब लचिगि पर समतिने रपिोर्ट सौंपी

चरचा में कयों?

केंद्रीय गृह सचवि राजीव गाबा की अध्यक्षता में माब लचिगि की घटनाओं को रोकने के लिये वरषिठ अधिकारियों का एक पैनल गठति कया गया था। समतिने इस वषिय पर वचिर – वमिर्श कनर के बाद अपनी रपिोर्ट मंत्रियों के समूह की अध्यक्षता कर रहे राजनाथ सहि को सौंप दी है।

परमुख बदि

- पैनल ने लचिगि की वभिनिन घटनाओं का अध्ययन कर यह नषिकर्ष नकाला क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को 'समयबद्ध तरीके' से कार्य करने की आवश्यकता है।
- फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मडिया प्लेटफॉर्मों के संज्ञान में लाए जाने के बाद वदिवेषपूर्ण पोस्ट और वीडियो को प्रतबिंधति नहीं करने पर उन्हें उत्तरदायी बनाया जाएगा और सरकार के आदेशों का पालन न करने पर देश में कार्यरत संबधति मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रमुख पर प्राथमिकी दर्ज कर मुकदमा चलाया जाएगा।
- उल्लेखनीय है क समतिने अपनी रपिोर्ट सौंपने से पहले वभिनिन हतिधारकों से इस संबध में चरचा भी की थी।

कानून में ऐसा प्रावधान है जो सरकार को आपत्तजनक सामग्री को हटाने, वेबसाइटों को ब्लॉक करने आदि कार्यों को करने में सक्षम बनाता है। इस तरह कानून लागू करने वाली एजेंसियों को इन आदेशों को आगे बढ़ाने और अधिक सक्रियता से काम करने की आवश्यकता है। इसके लिये सोशल मीडिया के साथ संबधों को भी आगे बढ़ाना होगा।

- इस संबध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिये वभिनिन सरकारी आदेशों के अनुपालन के संदर्भ में एक रपिोर्ट दी गई थी। इसे बेहतर बनाने और समय पर अनुपालन सुनिश्चति करने पर वे सहमत हैं।
- कुछ देशों में गैर-सरकारी संगठनों और स्वयंसेवकों के माध्यम से इंटरनेट की नगिरानी की जाती है, वहीं पैनल द्वारा इसके लिये एक पोर्टल बनाने की बात कही गई है जहाँ लोगों द्वारा आपत्तजनक सामग्री और वडियो के संदर्भ में रपिोर्ट दर्ज कराई जा सकेगी जसि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा संबधति राज्य को उचति कार्रवाई के लिये भेजा जा सकेगा।

वशिष कार्य बल

- केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक ज़िले में पुलिस अधीक्षक के स्तर पर एक अधिकारी नयुक्त करने, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिये एक वशिष कार्य बल गठति करने और बचचों की चोरी या मवेशियों की तस्करी के संदेह में लोगों पर भीड़ द्वारा कयि जाने वाले हमलों को रोकने के लिये सोशल मडिया पर नगिरानी रखने के लिये कहा गया है।